पूर्व मध्य रेल

संरक्षा बुलेटिन नं0–01/2024

कार्यालय
महाप्रबन्धक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0– ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/01/2024 दिनांक 04.01.2024

विषयः समपार फाटक बंद करने के बाद गाड़ी संचालन के लिए प्राईवेट नम्बर स्टेशन मास्टर से आदान–प्रदान करने के बावजूद आती हुई गाड़ी के सामने समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने की घटना ।

1. संक्षिप्त परिचयः–

सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर मंडल में गेटमैन के द्वारा समपार फाटक को बंद करने के बाद और स्टेशन मास्टर के साथ प्राईवेट नम्बर का आदान–प्रदान करने के बावजूद समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खुला रखने की कई घटनाएँ हुई हैं । इसी क्रम में विगत 15.12.2023 को सोनपुर मंडल के गोरौल–कुढ़नी ब्लॉक खंड में अवस्थित समपार फाटक संख्या 22/सी/ई (समपार फाटक की सामान्य स्थित – सड़क यातायात के लिए खुला) को गाड़ी संख्या 15550 डाउन पटना–जयनगर एक्सप्रेस के परिचालन के लिए सड़क यातायात के लिए बंद करने और गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर के साथ प्राईवेट नम्बर का आदान–प्रदान करने के बाद भी गेट को बैनर फ्लैग लगाकर सड़क यातायात के लिए खोलकर सड़क यातायात को पार कराया जा रहा था । इसी बीच गाड़ी संख्या 15550 डाउन पटना–जयनगर एक्सप्रेस समपार फाटक की ओर आ रही थी और बैनर फ्लैग देखकर गाड़ी संख्या 15550 के चालक द्वारा आपातकालीन ब्रेक लगाकर गाड़ी रोका गया जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बची ।

2. घटनाक्रमः–

(I) दिनांक 15.12.2023 को सोनपुर मंडल के गोरौल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी संख्या 15550 डाउन पटना–जयनगर एक्सप्रेस के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा 16.59 बजे भगवानपुर स्टेशन मास्टर को लाईन क्लियर देने के पूर्व समपार फाटक संख्या 22/सी/ई को बंद कराकर प्राईवेट नम्बर का आदान–प्रदान किया गया एवं गाड़ी को थ्रू किया गया ।

(II) अप दिशा से गाड़ी संख्या 13225 अप (जयनगर–दानापुर इंटरसीटी एक्सप्रेस) समपार फाटक से 17.04 बजे पास करने के पश्चात् गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर से यह पूछा गया कि क्या गाड़ी संख्या 15550 डाउन पटना–जयनगर एक्सप्रेस भगवानपुर से छोड़ा है या नहीं? इस पर स्टेशन मास्टर गोरौल ने बताया कि गाड़ी संख्या 15550 गोरौल से नहीं छोड़ा है । इसके पश्चात् स्टेशन मास्टर से गेटमैन ने यह बताया कि गेट जाम है और गेट खोल देने के बाद गेट क्लियर करने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा । अतः गाड़ी को थ्रू करने के पहले बताइयेगा । इस पर गोरौल स्टेशन मास्टर द्वारा गेटमैन को समपार फाटक खोलने के लिए बोला गया । इसी बीच गाड़ी संख्या 15550 भगवानपुर स्टेशन से खुल गई और गोरौल स्टेशन मास्टर ने गेटमैन को बिना बताए और गेट का बंद होना सुनिश्चित किए बगैर सिगलन थ्रू कर दिया । इन सब बातों की जानकारी समपार फाटक पर लगे हुए टेलीफोन की रिकॉडिंग से ज्ञात हुआ ।

(III) गाड़ी संख्या 15550 गोरौल स्टेशन से 17.12 बजे थ्रू पास हुई और गेट संख्या 22/सी/ई से ट्रैक्टर ट्रॉली को पास करते हुए देखा । इस पर चालक ने आपातकालीन ब्रेक लगाया और गाड़ी रोकने का प्रयास किया लेकिन गाड़ी बैनर फ्लैग को काटते हुए गेट पास करके 17.14 बजे खड़ी हुई ।

(IV) संयोगवश इस घटना में किसी प्रकार की जान–माल की क्षति नहीं हुई । स्टेशन मास्टर एवं गेटमैन के द्वारा सामान्य एवं सहायक नियम, स्टेशन संचालन नियम एवं गेट संचालन नियम में वर्णित स्पष्ट दिशा–निर्देश के अनुपालन में लापरवाही बरती गई ।

3. प्रक्रियागत विफलताएँ:–

इस घटना में स्टेशन मास्टर द्वारा समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए बंद कराकर प्राईवेट नम्बर आदान–प्रदान करने के बावजूद भी गेटमैन द्वारा पूछने पर समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खुलवा देना एवं समपार फाटक को बंद कराए बगैर गाड़ी को थ्रू कर देना । इस प्रकार स्टेशन मास्टर एवं गेटमैन द्वारा सामान्य एवं सहायक नियम संख्या 16.3 (4) (बी), और सामान्य एवं सहायक नियम संख्या 2.11 का उल्लंघन किया गया ।

4. बरती जानेवाली सावधानियाँ:–

- गाड़ी परिचालन के लिए गेट को बंद करने और स्टेशन मास्टर के साथ प्राईवेट नम्बर आदान–प्रदान करने के बाद गेटमैन द्वारा गेट को सड़क यातायात के लिए कदापि नहीं खोलना चाहिए ।

- स्टेशन मास्टर द्वारा एक बार गेट को बंद करने के लिए प्राईवेट नम्बर के आदान–प्रदान के बाद गेटमैन को गेट खोलने के लिए निर्देश नहीं देना चाहिए ।

उक्त का सर्व सम्बन्धित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मंडलों के सम्बन्धित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरिक्षण के समय इसका अनुपालन अवश्य देखें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो ।

(सुनील कुमार) 04.01.24
उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात
कृते महाप्रबंधक/संरक्षा

प्रतिलिपि:–

1. .महाप्रबन्धक के सचिव– महाप्रबन्धक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबन्धक के उप सचिव– अपर महाप्रबन्धक महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुपरिप्र0, प्रमुविई, प्रमुई./पूमरे/हाजीपुर ।
4. मंडल रेल प्रबन्धक/धनबाद, डीडीयु, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. वमंपरिप्र0, वमंसंधि0, वमंविई0(परि0), वमंई0(समन्वय)/धनबाद, डीडीयु, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।